जनगणना (सेंसस) बनाम एनपीआर

सरकारी कर्मचारी आपके घर आएं तो क्या करें?

भारत सरकार ने अचानक घोषणा की है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक वह भारतीय निवासियों का निर्धारण (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर-एनपीआर) करने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेगी। भारत में दशक में एक बार होने वाला जनसंख्या सर्वेक्षण, सेंसस भी 2021 में होने वाला है। इन दो प्रक्रियाओं, एक जो आवश्यक और नियमित प्रक्रिया है अर्थात सेंसस और दूसरी विवादास्पद एनपीआर-एनआरसी प्रक्रिया है, को जोड़कर सरकार जानबूझकर भ्रम पैदा कर रही है और खतरे की घंटी बजा रही है। नागरिकों के रूप में हमें इन दोनों प्रक्रियाओं के कानून का आधार समझना चाहिए और संप्रेषित करना चाहिए कि जनगणना प्रक्रिया में शामिल होना कानूनी तौर पर आवश्यक है, और दूसरी प्रक्रिया यानी एनपीआर का बहिष्कार करने की आवश्यकता है, क्योकि एनपीआर में पूछे गये सवाल एक सादा जनसंख्या रजिस्टर बनाने की जरूरत की अपेक्षा कहीं ज्यादा हैं।

असम का एनआरसी: असम का अनुभव, जिसके तहत 19 लाख लोगों को अंतिम एनआरसी (अगस्त 2019) में निकाल दिया गया, विनाशकारी रहा है। सरकार ने 1220 करोड़ रुपये खर्च किये, 52,000 सरकारी कर्मचारियों की छह साल तक सेवाएं लेकर कार्य पूरा किया। असम की कुल आबादी तीन करोड़ बीस लाख है, जिस से पहले तो (दिसंबर 2017 में) एक करोड़ बीस लाख, फिर (जुलाई 2018 में) 44 लाख, लेकिन सुनवाई इत्यादि होने के बाद 19 लाख लोगों को बाहर किया गया। असम के लोगों को इस प्रक्रिया में 24,400 करोड़ रुपये की चपत लगी। आज 19 लाख लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्हें फोरेनेर ट्रिब्यूनल से उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक लंबी अदालती लड़ाइयां लड़नी होंगी। सूची निकलने के साढ़े चार महीने बाद लोगों को कारण भी नहीं बताए गये हैं कि उन्हें क्यों बाहर किया! सरकार ने राज्य में दुबारा एनआरसी प्रक्रिया करने की धमकी दी है। सिटीज़ंस फॉर जस्टिस एंड पीस (cjp.org.in) लगभग तीन साल से वहां कार्य कर रही है, और हमारी टीम ने 12 लाख से अधिक लोगों की सहायता की है। छह जनवरी को हमने उच्चतम न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किया जिसमें अदालत ने निर्देशित किया है कि बच्चों को न तो अभिभावकों से अलग किया जायेगा और न ही असम के भयावह डिटेंशन कैंप में भेजा जायेगा।

21 सवाल जो सरकार नये एनपीआर 2020 के तहत पूछ रही है**, इस से हमारी निजता/प्राइवेसी को खतरा तो है ही, साथ ही लोगों पर निगरानी के दुरूपयोग का भी खतरा है। यही नहीं सबसे भयावह बात है कि इस से आबादी के एक वर्ग को लक्षित कर के उन्हें नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। यही कारण है कि हम एनपीआर-एनआरसी के खिलाफ हैं।** इसी के साथ हम यह भी स्पष्ट करना जरूरी समझते हैं कि, हमें जनगणना यानि सेन्सस को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार एनपीआर-एनआरसी प्रक्रिया को जनगणना प्रक्रिया से मिलाकर कुटिलता का भी परिचय दे रही है, और बेईमानी का भी। यह संभव है कि राज्य सरकारें दोनों सर्वेक्षण एक ही समय पर करवाने के लिए अधिकारियों के एक ही, यानी उसी समूह को लगायेगी। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से दोनों को समझने और इनमें फर्क करने की आवश्यकता है।

- हमें किन सवालों के जवाब देने है?
- किन सवालों के जवाब देने से हमें निश्चित रूप से इंकार करना है?
- क्यों?

पहले ये बात समझना ज़रूरी है, एनपीआर प्रक्रिया नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र का मुद्दा), नियम, 2003 के तहत की जा रही है, जबकि जनगणना 2021 जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत।

हम जनगणना के लिए तैयार हैं, जैसे कि 2011 में हुई थी। हम एनपीआर-एनआरसी का विरोध करते हैं!

जनगणना और एनपीआर में फर्क और समानताएं

जनगणना	एनपीआर
जनगणना के सवाल आवश्यक होते हैं और उनका जवाब देना जरूरी है।	एनपीआर सवाल स्वैच्छिक हैं। **आप चाहें तो जवाब न देना तय कर सकते हैं।**
जनगणना के पहले चरण में सवाल 'मकान सूचीबद्ध जनगणना' से संबंधित होते हैं जो घर में शौचालय, बिजली, जलापूर्ति आदि से जुड़े होते हैं।	एनपीआर के सवाल सेंसस हाऊसहोल्ड शेड्यूल (दूसरे चरण) का ही हिस्सा हैं जो 2021 में किया जाना है, केवल अभिभावकों के जन्मस्थल और जन्म तारीख को छोड़कर जो पहले एनपीआर प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं थे।

जनगणना हर दस साल पर की जाती है। 1872 के बाद से यह 16वीं और भारत की स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना है।	पहली बार एनपीआर 2010 में हुआ, जिसे 2015 में अपडेट किया गया। सरकार ने दावा किया है कि एनपीआर दस साल के अंतराल के बाद अपडेट किया जा रहा है।नियम नहीं कहते कि एनपीआर सूचीकरण या डाटा जमा करना समय-समय पर किया जायेगा।इसलिये, एनपीआर के मकसद को सभी संदेह की नज़र से देख रहे हैं।
जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है।	एनपीआर को पूरी तरह कानूनी मंज़ूरी नहीं है। एनपीआर नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के तहत किया जा रहा है, जो एक सबऑर्डीनेट लेजिस्लेशन है। नियम कार्यपालिका/सरकार बनाती है, और इनकी संसद में समीक्षा या बहस नहीं होती।
मकान सूचीकरण जनगणना में, सवालों के जवाब अलग से देने होंगे, जवाबों के खाने खाली होंगे।	एनपीआर शेड्यूल में अधिकांश जवाबों वाले खाने भरे होंगे क्योंकि यह एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया है। **आप डाटा की पुष्टि करने या न करने का चयन कर सकते हैं।**
जनगणना प्रक्रिया एनआरसी से संबंधित नहीं है।	एनपीआर, एनआरसी बनाने की दिशा में पहला कदम है। यह न केवल 2003 नियमों में बताया गया है बल्कि यह सरकार ने गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में खुद स्वीकार भी किया है।
जनगणना में सही डाटा देना, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8, जो कहती है कि हर व्यक्ति जिससे कोई भी सवाल (जनगणना उद्देश्य से अधिकारिक गजट में प्रकाशित) पूछा जाता है तो वह अपनी जानकारी के अनुसार कानूनन उसका जवाब देने के लिए बाध्य है, के तहत आवश्यक है।	वैसे तो एनपीआर में किसी व्यक्ति पर सवालों के जवाब देने की बाध्यता नहीं है। मगर 9 और 7 नंबर के नियमों के अनुसार सभी को पंजीकरण कराना आवश्यक है, और परिवार के मुखिया को एनपीआर के सवाल का जवाब देना होगा, वरना उन्हें 1000/- रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए जवाब देना स्वैच्छिक तो है, लेकिन अगर हम जवाब न दें तो, सरकार हमें संदिग्ध नागरिक (डीसी Doubtful Citizen) घोषित कर सकती है।*
जनगणना बुनियादी राष्ट्रीय जनसंख्या डाटा का प्रमुख स्रोत है, जो प्रशासनिक उद्देश्यों और आर्थिक एवं सामजिक अनुसन्धान तथा प्लानिंग के लिए और सरकारी नीति (कल्याणकारी योजनायें आदि) बनाने के लिए आवश्यक होता है।	एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है जिसमें देश के सभी 'सामान्य निवासियों' का विवरण होगा चाहे वे भारत के नागरिक हों या गैर नागरिक। एनपीआर अखिल भारतीय एनआरसी का डेटाबेस बनाने के लिए किया जा रहा है।
जनगणना डाटा भारत में दो चरणों में जमा किया जाता है। पहला चरण आवास सूचीकरण है, जिसके बाद मकान में रहने वाले, कुटुंब का डाटा कलेक्शन चरण, दूसरा चरण होता है।	एनपीआर एनआरसी का पहला चरण माना जा सकता है जिसके बाद अखिल भारतीय एनआरसी होगा।
एनपीआर प्रक्रिया, आवास सूचीकरण जनगणना अर्थात जनगणना 2021 के पहले चरण, के **साथ की जानी है। ये दोनों 1 अप्रैल, 2020 से शुरू की जानी हैं, और 30 सितम्बर 2020 तक पूरी होनी हैं!** (स्रोत: गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एनपीआर से सम्बंधित निर्देश मैन्युअल)	

निर्देश मैन्युअल यह भी बताता है कि गणना **साथ-साथ** की जानी है इसलिए इसकी सम्भावना है कि जब जनगणना कर्मचारी आपके घर आयें, **तो वे एनपीआर और जनगणना शेड्यूल एक साथ भरें!** जहाँ जनगणना डाटा सरकार के नीति निर्धारण, कल्याणकारी योजनाओं और देश के सामन्य विकास के लिए ज़रूरी है, और इसका जवाब देना आवश्यक है, एनपीआर के पीछे का तर्क सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। वास्तव में सरकार की तरफ से पारदर्शिता और स्पष्टता का अभाव *मांग करता है कि हम एनपीआर-एनआरसी से जुड़े सवालों के जवाब देने से इनकार करें।*

पहले किये गए एनपीआर में लोगों का बायोमेट्रिक डाटा जमा किया गया था जो आधार डेटाबेस में शामिल किया गया। हालांकि, 2003 नियमों में कहीं नहीं कहा गया है कि एनपीआर हर दस साल बाद या एक अवधि के बाद किया जाता है, या किया जाएगा।

इसलिए हम सबके लिए यह समझना ज़रूरी है, कि सरकार जनगणना सेन्सस और एनपीआर कैसे - लुकेछुपे और शातिराना ढंग से – करने वाली है। कौन से सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं, और कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं देने चाहिए।

एनपीआर में हिस्सा लेना स्वैच्छिक है, आप जवाब देने से इनकार कर सकते हैं!

गृह मंत्रालय और भारत सरकार को लोगों और गैर भाजपा सरकारों से हाल में एनपीआर-जनगणना पर बैठक में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। ये आपत्तियां *एनपीआर-एनआरसी में चार ख़ास सवालों, खासकर अभिभावकों के जन्मस्थल और तारीख* को लेकर थीं। दबाव में आने पर गृह मंत्रालय को सच बताना पड़ा कि एनपीआर में पूछे गए सवालों का जवाब देना पूरी तरह स्वैच्छिक है।

नोट: जनगणना में आवास सूचीकरण से सम्बंधित सवालों के जवाब देना ज़रूरी है पर एनपीआर में पूछे गए सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं है! यह पूरी तरह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह जानकारी मुहैया कराना चाहता है या नहीं। हालांकि, एनपीआर शेड्यूल में अधिकांश डाटा पहले से भरा होगा, **आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं या चाहें तो नहीं कर सकते हैं।*** *(टेबल में लिखी चेतावनी ज़रूर पढ़ें)*

जनगणना, इसका महत्व और कानूनी आधार

जनगणना बुनियादी जनसंख्या डाटा का प्रमुख स्रोत है प्रशासनिक उद्देश्यों और आर्थिक, सामाजिक अनुसन्धान और प्लानिंग के विभिन्न पहलुओं के लिए। जनसंख्या के आधार पर न सिर्फ क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, बल्कि राष्ट्रीय, स्थानीय, ग्रामीण एवं शहरी आय अनुमान और लोगों को सेवाओं और सुविधाओं के किस स्तर की पहुँच निर्धारण डाटा के ईमानदार विवेचन के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब है कि डाटा महत्वपूर्ण है कि सरकार जनसंख्या डाटा के आधार पर लोगों की ज़रूरतों के अनुसार नीतियां और कल्याणकारी योजनायें बना सके। जनसंख्या डाटा जनसांख्यिकी, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता एवं शिक्षा, आवास एवं आवासीय सुविधाएँ, शहरीकरण, जन्म एवं मृत्यु दर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, भाषा, धर्म, पलायन, विकलांगता एवं कई अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकी डाटा पर सबसे विश्वसनीय जानकारी का स्रोत होता है।

जनगणना अधिनियम की धारा 4ए के तहत किसी स्थानीय अधिकारी पर अपने अधीन कर्मचारियों को केंद्र सरकार के लिखित में आदेश जारी करने पर जनगणना सम्बन्धी कार्य के लिए उपलब्ध कराना बंधनकारी है।

जनगणना दो चरणों में

जनगणना डाटा भारत में दो चरणों में जमा किया जाता है। पहला चरण आवास सूचीकरण का चरण है जिसके बाद दूसरा चरण आवासीय डाटा जमा का होता है। पहले चरण में आवास, आवास में शौचालय, बिजली, जलापूर्ति जैसी सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाती है। दूसरे चरण में मकान के सदस्यों के बारे में होता है। यह डाटा घर में सदस्यों की संख्या का होता है और इस तरह देश की जनसंख्या का ही निर्धारण नहीं करता बल्कि मातृभाषा, लोगों का धर्म, क्या वह आरक्षण श्रेणी में आते हैं, वह कितने पढ़े-लिखे हैं, क्या वह विकलांग हैं, आदि का डाटा होता है। यह सारी जानकारी आदर्श रूप से अल्पसंख्यक आबादी के लिए या विकलांगों के लाभार्थ नीतियाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। नीति नज़रिए के उद्देश्य से जमा डाटा का महत्व देखते हुए पिछले इतने सालों में सवालों की सूची में बेहद मामूली परिवर्तन किये गए हैं।

एनपीआर

एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है जिसमें देश के सभी 'सामान्य निवासियों' का विवरण होगा चाहे वे भारत के नागरिक हों या नहीं। देश के 119 करोड़ सामान्य निवासियों का इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस पहले से तैयार है जो 2010 में आवास सूची और आवास जनगणना 2010 के साथ तैयार किया गया था। भारत सरकार ने यह भी बताया है कि एनपीआर डेटाबेस 2015-16 में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (असम और मेघालय को छोड़कर) अपडेट किया गया था समग्र निवासी डेटाबेस तैयार करने के लिए।

क्या एनपीआर क़ानून है?

एनपीआर नागरिकता नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। यह एक सबऑरडीनेट अथवा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो कार्यपालिका को किसी कानून के बेहतर अमल के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है। यदि एनपीआर सचमुच जनगणना का हिस्सा होता तो इसे नागरिकता नियमों के बजाय जनगणना नियमों में शामिल किया जाता।

यहाँ जनगणना 2021 के तहत सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब आपको देना चाहिए और वह सवाल भी जो एनपीआर 2020 के ज़रिये लाये जाने की कोशिश की जा रही है जिनका जवाब देने की आपको ज़रुरत नहीं है। जनगणना के सवालों के जवाब दीजिये, एनपीआर के नहीं जो की स्वैच्छिक हैं।

एनपीआर अप्रैल 2020 से शुरू होने को अधिसूचित किया गया है। जब एनपीआर डाटा *जनगणना डाटा के साथ* जुटाया जाएगा, इसमें वांछित जानकारी की 21 अलग श्रेणियां हैं। नागरिकता नियम के प्रावधान 4(3) के अनुसार, "भारतीय नागरिकों का स्थानीय रजिस्टर बनाने और उन्हें इसमें शामिल करने के उद्देश्य से जनगणना में जमा किया हर परिवार और व्यक्ति का विवरण स्थानीय रजिस्टर से पुष्ट किया जाएगा और जांचा जाएगा।"

जनसंख्या रजिस्टर स्थानीय रजिस्टर के ज़रिये पुष्ट किया जाएगा और जांचा जाएगा। पुष्टि की प्रक्रिया में "ऐसे व्यक्ति का विवरण जिसकी नागरिकता स्थानीय रजिस्टर में संदिग्ध बतायी गयी हो जनसंख्या रजिस्टर की सूची में "संदिग्ध नागरिक" की टिप्पणी के साथ आगे की जांच के लिए दर्ज होगा।

हर व्यक्ति को नागरिकता पंजीकरण के उप जिला अथवा तालुका पंजीकार के समक्ष सुने जाने का अवसर दिया जाएगा। उप जिला अथवा तालुका पंजीकार प्रवेशिका के 90 दिन के अन्दर अपने निर्णय को अंतिम रूप देगा। आपके, आपके परिवार या किसी के भी एनपीआर-एनआरसी सूची में शामिल करने पर दूसरे लोग "आपत्तियां उठा" सकेंगे।

उसके बाद डाटा कोई भी "आपत्ति" मंगवाने के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। पंजीकार का आदेश अंतिम होगा: चाहे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से आपको या किसी भी व्यक्ति को शामिल या बाहर किया जाए। एनपीआर अखिल भारतीय एनआरसी का पहला चरण है. या फिर एनपीआर एनआरसी का पिछला दरवाज़ा है!

वैसे, एनपीआर एनलिस्टिंग आदेश की गजट प्रति अधिकारिक वेबसाइट से गायब है!

क्यों?

☑ **जनगणना सवाल जिनके जवाब देना हमारे लिए आवश्यक है:**	☒ **एनपीआर शेड्यूल सवाल जिनके जवाब देना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है:**
जनगणना आवास सूची शेड्यूल: ये सवाल हैं जो जनगणना आवास सूची शेड्यूल, 2020 का हिस्सा हैं: 1. इमारत क्रमांक (परिषद् और स्थानीय निकाय अथवा जनगणना क्रमांक) 2. जनगणना आवास क्रमांक 3. जनगणना आवास के फर्श, दीवार और छत में मुख्य रूप से प्रयुक्त सामग्री 4. जनगणना आवास का इस्तेमाल 5. जनगणना आवास की स्थिति 6. मकान संख्या 7. मकान में आम तौर पर रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 8. मकान के मुखिया का नाम 9. मकान के मुखिया का लिंग 10. क्या मकान का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से है 11. जनगणना आवास के स्वामित्व की स्थिति 12. मकान में रिहायशी कमरों की संख्या 13. मकान में रहने वाले शादीशुदा जोड़ों की संख्या 14. पेयजल का मुख्य स्रोत 15. पेयजल स्रोत की उपलब्धता 16. रौशनी का मुख्य स्रोत 17. शौचालय तक पहुँच 18. शौचालय का प्रकार 19. गंदे पानी का निकास 20. नहाने की सुविधा की उपलब्धता 21. रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता 22. खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य इंधन 23. रेडियो/ट्रांजिस्टर 24. टीवी 25. इन्टरनेट तक पहुँच	एनपीआर शेड्यूल में अधिकतर खाने पहले से भरे हुए होंगे क्योंकि डाटा 2010 में जुटाया गया था और 2015 में अपडेट किया गया था। इसलिए, ऐसे डाटा में केवल बदलाव दर्ज किये जायेंगे। आपको शेड्यूल/सवालों की सूची में पहले से भरे हुए डाटा की पुष्टि करनी होगी। जैसा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया है एनपीआर सवालों पर जानकारी देना स्वैच्छिक है। **इसका मतलब है कि एनपीआर शेड्यूल में पूछी गयी कोई भी जानकारी देने से आप इनकार कर सकते हैं.*** जनगणना आवास संख्या और निवासी संख्या · वर्तमान पता (पहले से भरा हुआ) · पिन कोड (पहले से भरा हुआ) · निवासी की स्थिति (उपलब्ध/बंद/चलागया/गणना नहीं की जा सकी/नया) · सदस्यों की संख्या (पहले से भरा हुआ) · व्यक्ति का पूरा नाम (पहले से भरा हुआ) · मकान के सदस्य की उपलब्धता · मुखिया से सम्बन्ध · लिंग (पहले से भरा हुआ) · वैवाहिक स्थिति · जन्म तिथि (पहले से भरी हुई) · जन्म स्थल (पहले से भरा हुआ) · घोषित राष्ट्रीयता (पहले से भरी हुई) नोट: राष्ट्रीयता वही दर्ज की जाती है जो जवाब देने वाला घोषित करता है. इससे भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं मिल जाता. · पासपोर्ट नंबर (यदि भारतीय है, तो ही वह पासपोर्ट संख्या पूछ सकते हैं) मैन्युअल में कहा गया है, **"यदि प्रतिवादी पासपोर्ट नंबर मुहैया कराता है तो..." इसका यह अर्थ निकाला जा सकता है कि मांगी गयी जानकारी स्वैच्छिक है। इसका मतलब है कि यदि आपके पास पासपोर्ट है आप चाहें तो पासपोर्ट नंबर न देना तय कर सकते हैं।** · शैक्षणिक योग्यता · कार्य/गतिविधि

26. लैपटॉप/कम्प्यूटर

27. टेलीफोन/मोबाइल फ़ोन/स्मार्ट फ़ोन

28. साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड

29. कार/जीप/वैन

30. मकान में मुख्य रूप से खपने वाला अनाज

31. मोबाइल क्रमांक (केवल जनगणना से सम्बंधित सम्प्रेषण के लिए)

**स्रोत: ओआरजीआई गजट अधिसूचना (2021 जनगणना के लिए आवास सूची कार्य की अवधि और आवास सूची में सवाल और आवास गणना) दिनांक 07 जनवरी 2019*

· स्थायी आवासीय पता (पहले से भरा हुआ)

· अंतिम आवास का स्थान और उस पर रिहाइश की अवधी

Q 12. Whether Staying at present place since birth 12 (a) Yes/No,

If No, fill 12 (b), else skip 12 (b) (i) Duration of stay at present place in years 12 (b) (ii) Place of Last residence	
12 (a)	Yes
12 (b) (i)	-
12 (b) (ii)	-
State / Country	-
District	-

Details of father, mother and spouse **(Not Mandatory)**

Whether Staying at present place since birth 12(a) Yes/No, if No, fill 12(b), else skip 12 (b) (i) Duration of stay at present place in years 12 (b) (ii) Place of Last residence	
12 (a)	No
12 (b) (i)	5
12 (b) (ii)	Patna
State / Country	Bihar
District	Patna

· पिता, माँ और जीवन साथी का विवरण (**आवश्यक नहीं**)

Q.13(i) If father, mother and spouse are not enumerated in this household or not alive, write their names along with date of birth else write serial number	**Q.13(ii) Place of Birth of Father & Mother** If within India, write the name of the state and district if outside India, Write the name of the country and put '-' for district
Father's Name *Ashok Kumar Bhardwaj* (DOB as DD-MM-YYYY) *2 5 1 1 1 9 3 0*	State/Country *Uttar Pradesh* District *Sitapur*
Mother's Name *Ashok Kumar Bhardwaj* (DOB as DD-MM-YYYY) *0 4* *2 5 1 1 1 9 3 0*	State/Country *Uttar Pradesh* District *Sitapur*
Mother's Name *Naina Bhardwaj*	

· आधार नंबर (यदि उपलब्ध है तो) (**ख़ास तौर पर बताया गया है "आधार नंबर लेना है यदि निवासी स्वेच्छा से मुहैया कराता है तो**)

· मोबाइल नंबर (पहले से भरा हुआ)

· मतदाता पहचान पत्र कार्ड नंबर (यदि उपलब्ध है तो)

· ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (यदि उपलब्ध है तो)

यदि उक्त में से कोई भी नंबर उपलब्ध नहीं है, इसे खाली छोड़ा जा सकता है। इस तरह, आप यह जानकारी तभी मुहैया करा सकते हैं यदि आप चाहते हैं।

आपकी जानकारी के लिए: क्या जनगणना/एनपीआर डाटा का दुरूपयोग हो सकता है?

जनगणना डाटा जमा करने के कई सकारात्मक पहलू हैं, पर इसका एक खतरनाक पक्ष भी है जो अक्सर नज़रंदाज़ कर दिया जाता है। जर्मनी ने अपने जनसंख्या डाटा का दुरूपयोग यहूदियों की शिनाख्त के लिए किया जिन्हें बाद में उत्पीड़ित किया गया और जब उन्होंने यूरोप के अन्य कुछ देशों में घुस कर बचना चाहा तो वहां के आबादी डाटा हासिल किये गए और उन लोगों की शिनाख्त की जिन्हें हिरासत में लेना था, जिन्हें श्रम शिविरों में डालना था और अंत में समाप्त कर देना था।

यहाँ तक कि अमेरिका ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में जनसंख्या डाटा जापानी मूल के लोगों की शिनाख्त के लिए दुरूपयोग किया। अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे जापानी-अमरीकियों को हिरासत में लिया गया और युद्ध की अवधि के दौरान यातना शिविरों में भेजा गया।

एनपीआर-एनआरसी क्यों खतरनाक है?

जितना भी हानिरहित कहा जाए, एनपीआर अखिल भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार करने का आधार बनेगा। घर-घर सर्वेक्षण के बाद, उन लोगों की सूची जाहिर की जायेगी जो कि इसमें शामिल होंगे। एनपीआर में जिन लोगों के नाम नहीं आयेंगे उन्हें इसके खिलाफ अपील करनी होगी और जिला पंजीकार को प्रासंगिक दस्तावेज़ जमा कराने होंगे जो फिर फैसला करेगा कि वह व्यक्ति नागरिक है या नहीं. तो यह 'सरकारी' अधिकारी जब हमारे घर आयेंगे तो हमसे कौन से दस्तावेज़ मांगेंगे? कौन से दस्तावेज़ पंजीकार को संतुष्ट करेंगे?

जैसी की इसकी शैली है, सरकार ने अब तक अधिसूचना जारी कर नहीं बताया कि घर-घर जाकर इस गणना के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किये जायेंगे? क्या दस्तावेज़ मांगे जायेंगे? क्या दस्तावेज़ चलेंगे और क्या नहीं चलेंगे? यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया कैसे होगी? क्या कसौटी इस्तेमाल होगी? "कट ऑफ डेट" क्या होगी यह तय करने के लिए कि कोई व्यक्ति जन्म और उसके ज़रिये नागरिकता चिन्हित कर पायेगा?

कौन भारतीय है?

क्या कागजों के कुछ टुकड़े हमारे पास होना हमें भारतीय बनाता है? क्या किसी धर्म विशेष में पैदा होना हमें भारतीय बनाता है? क्या किसी एक राजनीतिक विचारधारा में दूसरी राजनीतिक विचारधाराओं से अधिक विश्वास हमें भारतीय बनाता है? यह कौन तय करेगा कि कौन भारतीय है?

ऐसे लोगों के लिए जो प्राचीन सभ्यता होने में गर्व महसूस करते हैं, जहाँ बोलियाँ, रंग और स्वाद हर कुछ मील पर बदल जाते हैं, जहाँ विश्व के कुछ महान विचार पनपे हैं और चर्चा का विषय बने हैं वहां यह संकुचित परिभाषाएं ही मानी जायेंगी। ऐसी कोई एक परिभाषा नहीं है जो यह तय करे कि कौन भारतीय है या कौन नहीं है?

नागरिकता कसौटी को लेकर हमारी मांगें इस प्रकार हैं:

1. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), 2019 रद्द करने या इसमें मुस्लिमों समेत सभी पडोसी देशों के सभी धर्मों के लोगों को शामिल करने के लिए इसके भेदभावकारी प्रावधानों में संशोधन करें।

2. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और अखिल भारतीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी/एनआरआईसी) की प्रक्रिया तुरंत रोक दें।

3. नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 रद्द करें/वापस लें।

4. सभी डिटेंशन कैंप बंद करें/समाप्त करें।

5. 2015 और 2017 में फोरेनर्स आर्डर 1948 में किये संशोधन वापस लें/रद्द करें।

6. पासपोर्ट (भारत में प्रवेश नियम), 1950 में 2015, 2017 में किये संशोधन रद्द करें जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन हैं और भेदभावकारी हैं।

अपने अनुमोदन हमें ईमेल info@cjp.org.in पर भेजें, या हमसे संपर्क करें: +91 7506661171

ट्विटर: @cjpindia इन्स्टाग्राम: @cjpindia फेसबुक: @cjpindia वेबसाइट: cjp.org.in